

20-12-17

राज्य द्वारा एडीपीओ उपस्थित।

आरोपी राकेश अनुपस्थित।

प्रकरण आरोपी राकेश की उपस्थिति हेतु नियत है।

आज दिनांक को आरोपी राकेश को जारी गिरफ्तारी वारंट अदम्य तामील वापिस प्राप्त। आज दिनांक को तामील कुनिंदा प्रधान आरक्षक मोहर सिंह उपस्थित है उक्त साक्षी के तामील कुनिंदा कथन अंकित किए गए।

तामील कुनिंदा मोहर सिंह द्वारा अपने कथन में व्यक्त किया गया कि आरोपी राकेश दिए गए पते पर नहीं रहता है आरोपी के निकट भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है। आरोपी की कोई चल-अचल संपत्ति नहीं है। अतः आरोपी राकेश को फरार घोषित किया जावे।

प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में आरोपी लंबे समय से अनुपस्थित है आरोपी की गिरफ्तारी हेतु लगातार गिरफ्तारी वारंट जारी किए जा रहे हैं परंतु आरोपी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया है। आरोपी के निकट भविष्य में मिलने की संभावना नहीं है। आरोपी की कोई चल-अचल संपत्ति नहीं है। अतः आरोपी को प्रकरण में फरार घोषित किया जाता है।

आरोपी राकेश के विरुद्ध इस प्रकरण में स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया जावे।

अभिलेख के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से यह टीप अंकित की जावे कि प्रकरण में आरोपी फरार है। अतः प्रकरण का अभिलेख एवं जप्तशुदा संपत्ति सुरक्षित रखी जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

जेएमएफसी, गोहद